# कार्यालय प्रभारी अधिकारी उद्यान अनुभाग
# गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर

पत्रांक–जी0एस0/ दिनॉकः ..........................

**अल्पकालिक निविदा के माध्यम से उद्यान अनुभाग अंतर्गत तराई भवन घेरबाड़ के बाहर स्थित बाग की फल फसल वर्ष 2026 हेतु अल्पकालिक निविदा सूचना**

तराई भवन स्थित घेरबाड़ के बाहर वाले बाग की फल फसल 01 वर्ष हेतु आम, लीची, कटहल, चीकू, अमरख आदि वृक्षों की निविदा हेतु ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों द्वारा अल्पकालिक निविदा प्रपत्र (Tender Form) दिनांक 20.01.2026 से 31.01.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक) में रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु. 360.00, कुल रु. **2,360.00** (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) में नकद भुगतान अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि **नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (Comptroller, GBPUA&T, Pantnagar)** के नाम ***भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पन्तनगर*** शाखा में देय हो अनुभाग कार्यालय में जमा करते हुये क्रय किये जा सकते है एवं निविदायें दिनांक 20.01.2026 से दिनांक 31.01.2026 तक प्रातः 9:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद व तथा धरोहर राशि के ड्राफ्ट के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेंगी। निविदायें उद्यान अनुभाग कार्यालय में दिनांक 2.02.2026 को अपराह्न 3:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी तथा निविदा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मों की स्वीकार की जायेंगी, जिनके द्वारा दिनांक 20.01.2026 से दिनांक 31.01.2026 तक क्रय किये गये निविदा प्रपत्र, फीस रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु. 360.00 कुल रु. 2360.00 (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) की रसीद एवं निविदा में भाग लेने हेतु **रु. 01 लाख तक की निविदा हेतु रु. 5,000.00, 01 लाख से 05 लाख तक की निविदा हेतु रु. 50,000.00, रु. 05 लाख से रु. 10 लाख तक की निविदा हेतु रु. 1,00,000.00, रु. 10 लाख से रु. 20 लाख तक की निविदा हेतु 1,50,000.00** की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो, **नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (Comptroller, GBPUA&T, Pantnagar)** के नाम ***भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पन्तनगर*** शाखा में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाला गया हो। निविदा की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं क्रय किये निविदा प्रपत्र (Tender Form) की रसीद की मूल प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं करने की दशा में निविदा बाक्स में डाले गये निविदा प्रपत्र को निरस्त समझा जायेगा।

समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि निविदा में भाग लेने से पूर्व बागों का भली–भॉति निरीक्षण कर ही निविदा डालें, बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

**फलदार वृक्षों का विवरणः–**

| क्र.सं. | फल प्रजाति का नाम | वृक्षों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आम | 72 |
| 2. | लीची | 94 |
| 3. | कटहल | 02 |
| 4. | चीकू | 01 |
| 5. | अमरख/कमरख | 01 |
| | कुल | **170** |

**अल्पकालिक निविदा की शर्तें:**

1. यह ठेका निविदा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत दिनाँक 31.08.2026 तक वैध होगा।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बाग का भली भॉति निरीक्षण कर लें। बाग की बिक्री के पश्चात किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा प्रपत्र में बाग के सभी फल वृक्षों की निविदा की कुल धनराशि एक साथ अंकों एवं शब्दों में अंकित की जानी है।
4. उच्चतम निविदादाता एवं द्वितीय उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा जमा की गई राशि के बैंक डाफ्ट को निविदा की समाप्ति के तुरन्त बाद लौटा दिया जायेगा परन्तु रू0 2360.00 (रू0 दो हजार तीन सौ साठ) का निविदा प्रपत्र शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
5. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा की राशि का 25 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निविदा खुलने के पश्चात तुरन्त जमा करना होगा। इस राशि में पहले जमा की गई धरोहर राशि समायोजित नही की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता उक्त 25 प्रतिशत राशि को जमा करने में असमर्थ/असफल रहता है तो उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जब्त कर कर लिया जायेगा।
6. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दे।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृत हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व जो भी पहले हो निविदा की अवशेष सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। इसमें पहले जमा की गई धरोहर राशि समायोजित कर ली जायेगी।
8. यदि सम्बन्धित ठेकेदार सूचना प्राप्ति के 15 दिन के भीतर निविदा की अवशेष धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो एक सप्ताह के भीतर उच्चतम निविदा का 15 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क के साथ बाग पर कब्जा ले सकता है, उसके पश्चात ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा और जमा की गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. ठेकेदार को बाग का कब्जा लेने से पूर्व ठेके की 10 प्रतिशत राशि सुरक्षा धनराशि के रूप में विश्वविद्यालय कोष में पृथक से जमा करनी होगी। सुरक्षा धनराशि ठेके के अन्त तक विश्वविद्यालय कोष में जमा रहेगी। ठेका समाप्ति के बाद ठेकेदार द्वारा सुरक्षा धनराशि वापस प्राप्त करने का आवेदन करने पर प्रभारी अधिकारी, उद्यान अनुभाग की संस्तुति पर नियन्त्रक द्वारा नियमानुसार वापस की जायेगी।
10. सुरक्षा धनराशि विश्वविद्यालय के कोष में जमा करने की अवधि का कोई ब्याज विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। यदि ठेकेदार निश्चित तिथि तक उपरोक्त धनराशि जमा नही कर पाता है तो उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा पहले जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
11. फलों को बाग/केन्द्र से बाहर ले जाने के लिये ठेकेदार को इस अनुभाग से कार्य दिवसों में प्रातः 9.30 से अपराहन 4.30 बजे तक गेटपास प्राप्त करना होगा। अवकाश दिवसों में गेट पास जारी किया जाना सम्भव नहीं होगा।
12. ठेकेदार को अपना परिचय प्रमाण पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विभागाध्यक्ष अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, बाग का कब्जा लेने से पूर्व अनुभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
13. बाग की सफाई, फलों की रक्षा एवं फलों को लाने ले जाने की समस्त जिम्मेदारी बाग के ठेकेदार की होगी।
14. ठेकेदार द्वारा स्वयं या उसके आदमियों के द्वारा वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। यदि उसके द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुँचायी जाती है तो उद्यान अनुभाग द्वारा किया गया क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन ठेकेदार को मान्य होगा तथा क्षति की क्षतिपूर्ती ठेकेदार को करनी होगी।
15. ठेकेदार द्वारा या उसके आदमियों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में किसी प्रकार की मादक वस्तुओं का उपयोग या व्यापार नहीं किया जायेगा।

16. **ठेकेदार द्वारा तराई भवन प्रवेश करने से पूर्व सुरक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।**
17. **ठेकेदार द्वारा उक्त बाग में फलों कि रखवाली करते समय तराई भवन परिसर में किसी भी प्रकार की सर्च लाइट, पटाखे, तीव्र ध्वनि एवं अधिक गंधयुक्त कीटनाशकों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।**
18. ठेकेदार द्वारा प्रभारी अधिकारी उद्यान अनुभाग/सुरक्षा अधिकारी, पन्तनगर से स्वयं का तथा बाग पर लगाये गये अपने कर्मियों का परिचय पत्र बनवाना होगा।
19. ठेकेदार द्वारा बाग का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
20. ठेके की शर्तो के पालनार्थ ठेकेदार को स्वंय के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू0 एक सौ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप से अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने के दिनॉक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
21. नीलामी की गई फलदार फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को अनुभाग की अन्य फसलो से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार, उद्यान अनुभाग अथवा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुॅचाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ती की जायेगी।
22. ठेकेदार को बाग की सफाई, सिंचाई फसल की सुरक्षा, रोग एवं कीड़ों से बचाव तथा फलों की तुड़ाई/ढुलाई आदि कार्य स्वंय करने होंगे। ठेके की अवधि में बागों में रासायनों/कीटनाशकों के छिड़काव करने से पूर्व ठेकेदार को केन्द्र से कीट विशेषज्ञ अथवा अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
23. बाग की सिंचाई में होने वाले विद्युत व्यय को ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
24. **किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का निस्तारण कुलपति जी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा बतौर Sole Arbirator किया जायेगा तथा जिनका निर्णय अन्तिम व दोनो पक्षों को सर्वथा मान्य होगा।**
25. अनुभाग द्वारा बनाये गये रास्तों का उपयोग ही सफल निविदादाता को करना होगा। किसी नये रास्ते का निर्माण अथवा बाउण्ड्री को तोड़कर अपना सामान/फल ले जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो सफल निविदादाता पर दण्ड/जुर्माना लगाया जायेगा।
26. यदि बीच में किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो ठेका तुरन्त प्रभाव से रद्द किया जायेगा।
27. ठेकेदार को उक्त सभी नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है, तो ठेकेदार के विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

**प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 27 तक) मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।**

हस्ताक्षर निविदादाता..............................................................

पूरा नाम..............................................................................

पिता का नाम.......................................................................

ग्राम एवं पो0.......................................................................

तहसील .............................................................................. जनपद...........................................

पिन ..................................................................................... मोबाइल सं0 ....................................

निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर